

पत्रांक-04तक0/डीजी सेट अनुदान-01/2017-.....

बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अन्तर्गत सर्वश्री गोदरेज एग्रोभेट लि0, ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर, वैशाली को डी0जी0 सेट पर देय अनुदान ₹ 30,37,662.00 (तीस लाख सैतीस हजार छः सौ बासठ रुपये) मात्र अनुदान राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत वृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को डी0जी0 सेट पर देय अनुदान हेतु सर्वश्री गोदरेज एग्रोभेट लि0, ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर, वैशाली से प्राप्त आवेदन पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 28.03.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 406 दिनांक 30.03.2017 के आलोक में सर्वश्री गोदरेज एग्रोभेट लि0, ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर, वैशाली को ₹ 30,37,662.00 (तीस लाख सैतीस हजार छः सौ बासठ रुपये) मात्र डी0जी0 सेट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- (i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत इकाई से वसूल की जायेगी।
- (ii) इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के भविष्य में गलत पाये जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।
- (iii) इकाई द्वारा स्थापित प्लान्ट एवं मशीनरी का उपयोग मात्र अपनी इकाई के लिए की जायेगी।
- (iv) राशि की उपलब्धता के पश्चात अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

2. उक्त राशि के व्यय का वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या 2493, दिनांक 11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या 40/आ0, दिनांक 19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-P2852801020160, के विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जायेगी। जिसका राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 है।

